महत्वपूर्ण एवं खास

चिकित्सकों ने कहा, नंदकुमार बघेल को ब्रेन और स्पाइन की समस्या

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता बीमार हैं। उनका इलाज रायपुर के एक अस्पताल में जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाल ही में पिता से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान एक तस्वीर भी सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर शेयर की। मुख्यमंत्री के पिता नंदकुमार बघेल (89) को ब्रेन और स्पाइन से सम्बंधित पुरानी बीमारी है। डायबिटीज की भी परेशानी है। रायपुर के बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस से मिली जानकारी के मुताबिक 21 अक्टूबर को तबीयत अधिक बिगडऩे की वजह से उन्हें अस्पताल लाया गया। जांच में पता चला कि दिमाग में खून का थक्का जमा था। उन्हें निमोनिया था और पूरे शरीर मे इन्फेक्शन फैला था, जिसे सेप्टिसिमिया कहते हैं, जिसकी वजह से नंद कुमार बघेल बिस्तर पर पड़ गए। इन्हे वेंटीलेटर की जरूरत पड़ी। अभी वे लगभग एक माह से बिस्तर में है, हालांकि उनकी बीमारी में इलाज के कारण अब थोड़ा सुधार आया है।

वाशिंग मशीन चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। आंगन में रखे वाशिंग मशीन की अज्ञात चोर ने चोरी कर ली। पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला कायम कर जांच शुरू की और आरोपित को पकड़ा। दर्री पुलिस ने बताया कि प्रार्थिया मनीषा यादव थाना उपस्थित आकर लिखित में शिकायत की थी कि 18 नवंबर की रात उसके घर में रखें लायड कंपनी का वाशिंग मशीन कीमत 14000 रूपये की चोरी हो गई है। थाना प्रभारी दर्री चमन सिंहा ने मामले में पतासाजी करने के लिए मुखबिर को सतर्क करने के साथ पुलिस टीम भी लगाया। इस बीच जानकारी मिली कि उक्त चोरी अनुज महत एवं उसके साथियों ने की है। इस पर अनुज महंत 20 वर्ष निवासी श्यामनगर स्याहीमुड़ी थाना दर्री को बुला कर जब पूछताछ की गई, तब उसने जुर्म स्वीकार किया। उसने बताया कि वह अपने साथी नान्हू व बबलू के साथ मिलकर वाशिंग मशीन की चोरी किया है। इसके साथ ही उसने वाशिंग मशीन को बरामद कराया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया। शेष दोनों आरोपितों की पतासाजी की जा रही है।

बिजली बिल जमा करने निकले वृद्ध की तालाब में मिली लाश

धमतरी-रायपुर (आरएनएस)। शहर के हटकेशर वार्ड इलाके से गायब 65 वर्षीय बुर्जुग की लाश मिली है। वृद्ध बिजली बिल जमा करने के नाम से घर से निकला था, इसके बाद अब उसका शव मिला है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पीएम के लिए भेज दिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वृद्ध की लाश देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. जांच में ये पता चला कि मृतक गोपाल कौशिक 18 नवंबर से ही घर से लापता था.। परिवार वालों के मुताबिक मृतक गोपाल कौशिक की उम्र 65 साल थी। गोपाल घर से यह कहकर निकले थे कि वो बिजली का बिल जमा करने जा रहे हैं। उनके लापता होने की सूचना पुलिस थाने में भी दी गई थी। हटकेशर वार्ड के तालाब से मिली लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.

मामूली बात पर दो पक्ष भिड़े

रायपुर (आरएनएस)। दुकान के पीछे लघुशंका करने की बात पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने काउंटर अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार पहले पक्ष से प्रार्थिया गौरी निर्मलकर 36 वर्ष ने थाना में शिकायत किया कि उसका लडक़ा गद्दा दुकान के पीछे लघुशंका कर रहा था, तभी गद्दा दुकान के संचालक ने प्रार्थिया से गाली-गलौज कर मारपीट किया। वहीं दूसरे पक्ष से प्रार्थी मोहम्मद नूर आलम 28 वर्ष ने थाना में शिकायत कि अज्ञात व्यक्ति उसके दुकान के पीछे लघुशंका कर रहा था, जिसे मना करने पर आरोपी ने प्रार्थी से विवाद कर उसके नौकर मोहम्मद अफजल और मोहम्मद फिरोज से मारपीट किया। दोनों पक्षों की शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने काउंटर अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

पुलिस महानिरीक्षक रायपुर के दिशानिर्देश पर पुलिस अधीक्षक धमतरी के नेतृत्व में लगातार फ्लेग मार्च एवं पेट्रोलिंग से निर्भीकता से हुई सर्वाधिक मतदान

- धमतरी जिले में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में रही धमतरी पुलिस की प्रमुख भूमिका
- पुलिस कड़ाई और लगातार पैट्रोलिंग की वजह से जिले में चुनाव के दिन एक भी हिंसा या बड़ी घटना की एफआईआर दर्ज के लिए नहीं मिली शिकायत

धमतरी (आरएनएस)। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर आरिफ एच. शेख के दिशानिर्देश पर पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रशांत ठाकुर के कुशल नेतृत्व में पिछले साल के तुलना में इस वर्ष एवं आचार संहिता के दौरान सर्वाधिक कुल 3943 लोगों पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।

और इन प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों से सामाजिक तत्वों और गड़बड़ी करने वाले लोगों में एक कड़ा संदेश गया कि चुनाव प्रक्रियाओं में अगर वह बदमाशी करते हैं, तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। चुनाव के पूर्व तक असामाजिक तत्वों व गुंडा बदमाशों की कड़ी निगरानी की गई और थानावार फ्लेग मार्च निकाली गई। एवं पॉच व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा जिला बदर के प्रकरण बनाए गए और जिसमें से चार व्यक्तियों को जिला बदर किया गया।

आचार संहिता दौरान वारंटी को प्रदेश के अलग-अलग जिलों और दूसरे प्रदेशों से भी लाकर कोर्ट में पेश किया गया।

विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 को निष्पक्ष,निर्भिंय एवं शांतिपूर्ण मतदान हेतु वर्ष 2023 जनवरी माह से अब तक 74 लोगों पर 110 सीआरपीसी. के तहत कार्यवाही कि गई है तथा 3410 लोगों के ऊपर 107,116 कि कार्यवाही कि गई है एवं 151 सीआरपीसी के तहत 441लोगों के उपर कार्यवाही की गई है।

इस माह आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए धमतरी पुलिस द्वारा सर्वाधिक प्रतिबंधक कार्यवाही किया गया है कुल में 3943 लोगों पर कुल प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर बाऊंड ओवर किया गया है।

छ.ग.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 (जिला बदर)के तहत 05 बदमाशों के विरुद्ध प्रकरण पेश किया गया था जिसमें 04 व्यक्तियों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई है।

इस पूरे वर्ष में अब तक कुल 3943 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गई है, सकड़ों लोग जेल भेजें गए। 2022 में पूरे वर्ष में कुल 3219 लोगो पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही और 2021 में 2314 लोगो पर कार्यवाहियां हुई थी।

इन कार्यवाहियों का सीधा असर चुनाव के दौरान देखने को मिला, पूरे जिले में चुनाव के दिन एक भी बड़ी हिंसा या वाद-विवाद के प्रकरणों में चुनाव के दिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई।

लगातार पुलिस टीम द्वारा की गई पेट्रोलिंग और पुलिस टीम द्वारा शिकायत स्थल पर त्वरित पहुंचने से कही भी बड़ा विवाद नहीं हुआ।

धमतरी पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब एवं नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर लगातार कि गई कार्यवाही।

जिसके तहत इस साल जनवरी माह से अवैध नशा और अवैध शराब के ऊपर लगातार कार्यवाहियों से नशे के व्यापार पर अंकुश लगा, साथ ही साथ सार्वजनिक जगहों पर शराब पीकर हुडदंग करने वाले लोगों पर लगातार कार्यवाहियों से भी कड़ा संदेश गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय ने शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के साथ साथ इस बीच त्योहारों और व्हीव्हीआईपीड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी,कानून व्यवस्था के दौरान अच्छी ड्यूटी हेतु समस्त राजपत्रित अधिकारी सहित पुलिस अधिकारी/ कर्मचारियों को बधाई दिये हैं।

तीन लेयर सुरक्षा में स्ट्रांग रूम, 32 कैमरों से निगरानी ईवीएम की निगरानी

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दो चरण में 90 विधानसभा सीटों में मतदान पूरा हो चुका है। 90 सीटों में कुल 1,181 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला तीन दिसंबर को होगा।

शुक्रवार को हुए दूसरे चरण में मतदान के बाद अब ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है।

सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कालेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रायपुर जिले की सातों विधानसभा सीटों के 123 प्रत्याशियों का भविष्य कैद हो चुके हैं। स्ट्रांग रूम स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ के तीन स्तरीय सुरक्षा घेरे में 24 घंटे है। परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कमरों के बाहर पुलिस बल के साथ सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। इनकी पहरेदारी लगातार 16 दिनों तक चलेगी।

ईवीएम मशीनों को अलग-अलग कमरों में रखा गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में चूक न हो इसके लिए फोर्स के साथ सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरी बिल्डिंग की निगरानी की जा रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर, सीढ़ियों और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर सीटीटीवी कैमरे की मदद से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। पूरी बिल्डिंग में 32 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। स्ट्रांग रूम के अंदर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा।

देर रात तक जारी रहा स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को रखने का सिलसिला

शुक्रवार को दूसरे चरण के मतदान के बाद मतदान दल ईवीएम मशीनों के साथ लौटने लगे। सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कालेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को रखने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा।

एक साथ लगभग 20 दुकानों के टूटे ताले और शटर, चोरों ने की लाखों की चोरी

महासमुंद (आरएनएस)। जिले में चोरों के हौसले बुलंद है. चुनावी ड्यूटी में व्यस्त पुलिस का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने बसना और सांकरा में बीती रात लगभग 20 दुकानों में सेंधमारी की है.

एक साथ टूटे दुकानों के ताले और शटर से इलाके में हडक़ंप मच गया है. अज्ञात चोरों लाखों रुपये नगदी और सामान साफ किया है. वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घटना की सूचना पर पुलिस जांच में जुट गई.

जानकारी के अनुसार, महासमुंद के बसना शहर में 16 से 17 दुकानों में एक साथ चोरों ने सेंधमारी की है. अज्ञात चोर बीती रात किसी दुकानों के ताला तोड़ा तो किसी के सटर तोडक़र चोरी की. बसना शहर के जनपद पंचायत से लेकर बिजली आफीस तक के दुकानों में चोरों ने हाथ साफ किया है. वहीं दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हुई है. घटना में लाखों रूपये नगदी और ,सामानों की चोरी होने की आशंका जताई जा रही है.

चार से पांच युवकों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है. जहां चोरों से हाथ साफ किया है. उसमें होटल, फैसी स्टोर्स, किराना, हार्डवेयर जैसे दुकान शामिल हैं. बसना पुलिस अल सुबह मौके पर पहुंच कर रही है. साथ ही के जरिये आरोपियों की पहचान की जा रही है.

बोरा व्यापारी के घर घुसा अजगर कर रहा था काटने का प्रयास, सावधानी से किया रेस्क्यू

कोरबा (आरएनएस)। जिला में लगातार सांप निकलने की घटना जारी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार विभिन्न प्रसार के साप दिखना एक आम बात हैं, जिसके कारण लोगों में डर बना रहता है। सीतामढ़ी के एक बोरा व्यापारी के घर काम करते वक्त घर के सदस्यों की नजर बोरे के ऊपर बैठे एक विशाल काय आठ फीट के अजगर पर पड़ी। फिर क्या था घर में मौजूद लोगों की डर से हालत खराब हो गई। पूरा काम छोड़ कर उस पर ही नजर टिकी रही। इसकी जानकारी वाइल्डलाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को दी गई।

कुछ ही देर बाद सारथी मौके पर पहुंच कर सावधानी से रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया। अजगर गुस्से से लगातार सारथी को काटने का प्रयास करता रहा फिर भी उसे नहीं छोड़ा और आखिरकार अजगर को बोरे में डालने में कामयाब हुए। तब कहीं जाकर घर वालों ने राहत की सास ली और रेस्क्यू टीम का धन्यवाद दिया। अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया है। जितेंद्र सारथी ने बताया इस ठंड के मौसम में सांप अकसर धूप सेकते नजर आते हैं, ठंडे खून वाले होने के कारण वो ऐसा करते हैं, जो उनके लिए अति आवश्यक हैं।

भिलाई क्षेत्र में लक्ष्य के आधार पर किए गए वृक्षारोपण की होगी आडिट

भिलाईनगर (आरएनएस)। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में लक्ष्य के आधार पर किये गये वृक्षारोपण की आडिट के लिए आयुक्त ने टीम गठित कर 3 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करने, बिजली पोल में किये गये नम्बरिंग की पूर्णत: प्रमाण पत्र तथा आनलाईन शिकायतो में दर्ज प्रकरणो की समीक्षा आयुक्त के निर्देश पर अपर आयुक्त ने किया।

आयुक्त रोहित व्यास ने भिलाई के सौदर्यीकरण एवं हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत जी.ई.रोड, उद्यान, शासकीय भूमि, अस्पताल परिसर, गौठान, एस.एल.एम.आर. सेंटर, व्यवसायिक क्षेत्र आदि में वृक्षारोपण के निर्देश वर्षाऋतु के पूर्व दिये थे। जिसके लिए प्रत्येक जोन को वृक्षारोपण करने लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वर्तमान में किये गये वृक्षारोपण की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने अभियंताओं की टीम गठित कर 3 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश प्रसारित किये है। टीम के सदस्य वृक्षारोपण स्थल का मौका मुवायना कर सुख गये पेड़, छतिग्रस्त पाईप की जानकारी एकत्र करेगे, ठेका प्राप्त एजेसी को खाद पानी नियमित रूप से प्रदान किये जाने की जानकारी भी प्रारूप में प्रस्तुत करेगें। उक्त जानकारी बैठक में उपस्थित अधिकारियों को प्रदान करते हुए अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने आगे कहा की आयुक्त द्वारा भिलाई निगम क्षेत्र के सभी बिजली खम्बो की नंबरिंग के साथ बंद लाईट को बदल कर चालू करने के निर्देश दिये थे इसकी भी जानकारी टीम के सदस्य उपलब्ध करायेगें। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा जारी आनलाईन शिकायत में दर्ज शिकायत पत्रों के निराकरण की भी उन्होने समीक्षा की। अपर आयुक्त ने सारथी ई-एप्प, जनचैपाल, जनशिकायत में दर्ज शिकायतो का एक सप्ताह के भीतर निराकरण कर शिकायतो को विलोपित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

बैठक में उपायुक्त नरेन्द्र कुमार बंजारे, रमाकांत साहू, सभी जोन के आयुक्त, सहायक अभियंता, उपअभियंता, विभाग प्रमुख सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

महिला टीचर की तलाक अर्जी मंजूर, पति करता था क्रूरतापूर्ण व्यवहार

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के परिवार न्यायालय के आदेश को पलटते हुए एक महिला टीचर को उसके पति से तलाक लेने की अर्जी को मंज़ूरी दी है। कोर्ट ने माना है कि ट्यूशन पढने वाले वाले छात्रों के सामने टीचर पत्नी को गाली देना 'मानसिक क्रूरता' है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति के दुव्र्यवहार करने से न केवल समाज में पत्नी की छवि खराब होगी, बल्कि ये हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मानसिक क्रूरता भी होगी।

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच ने क्रूरता के आधार पर अपने पति से तलाक की मांग करने वाली एक महिला की याचिका की सुनवाई की। याचिका में आरोप लगाया गया कि जब पत्नी नौकरी करती थी और कभी-कभी देर से घर आती थी, तो पति, पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाता था। जब पत्नी ने अपने घर पर बच्चों को बुलाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो पति गाली-गलौच की भाषा में बात करने लगा।

कोर्ट ने कहा कि पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाने से स्वाभाविक रूप से समाज में, खासकर छात्रों के सामने पत्नी की छवि खराब होगी। पत्नी को शुरू में उसके ससुराल वालों ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह एक प्रेम विवाह था। महिला ने दलील दी कि उसका पति बेरोजगार था और इसलिए उसने परिवार का खर्च चलाने के लिए एक स्कूल में नौकरी की। काम के बोझ के कारण वह कभी-कभी देर से घर आती थीं। इस पर पति उसके चरित्र पर संदेह करता था और अक्सर उस पर कुछ पुरुष सहकर्मियों के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाता था। इस पर उसने नौकरी छोड़ दी लेकिन अपने घर पर ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। घर पर भी पति उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगा। यह हर रोज होने लगा, जिसके वजह से छात्रों ने ट्यूशन में आना बंद कर दिया। 9 अप्रैल, 2015 को पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसने उसे और उनकी बेटी को वापस लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुश सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुरे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के द्वारा सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

शासन के निर्देश पर पर्यावरण संरक्षण मंडल की कार्यवाही : दीपावली एवं अन्य पर्वों में सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखों के उपयोग पर दिया जोर

दुर्ग (आरएनएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिव्युनल, प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध में पारित आदेश के परिपालन में इस वर्ष दीपावली के दिन पटाखें फोडऩे के लिये रात 08,00 बजे से 10.00 बजे तक का समय सीमा निधारित किया गया। अन्य पर्वों जैसे- छठ पूजा - प्रात: 06:00 बजे से प्रात: 08:00 बजे तक गुरू पर्व रात्रि 08:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक नया वर्ष/ क्रिसमस - रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे फोड़े जाने का समय तय किया गया है। इसका पालन करने हेतु कड़ी निगरानी किया जाना है। कम उत्सर्जन करने वाले इम्प्रुव्ड एवं हरित पटाखों का निर्माण एवं विक्रय किया जाना है। इसके अतिरिक्त अन्य पटाखों के उत्पादन एवं विक्रय पर रोक लगाया जाना है।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल भिलाई के क्षेत्रीय अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार पटाखों के उपयोग के संबंध में अन्य निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 728/ 2015 अर्जून गोपाल विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश के परिपालन में सीरीज पटाखे अथवा लडिय़ो के विक्रय, उपयोग एवं निर्माण को प्रतिबंधित करना है। केवल उन्ही पटाखों को विकय किया जाना है जिसका ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा (125 डेसीबल) के भीतर हो। आनलाईन अर्थात ई-व्यापारी वेबसाईटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार कम्युनिटी फायर क्रेकिंग के लिये नगरीय निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र में एक उपयुक्त स्थल का निर्धारण शीघ्र कर आम जनता को उक्त स्थल की जानकारी आवश्यक रूप से दिया जाना सुनिश्चित करना होगा। पटाखों का बहुतायत में उपयोग होने से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। वायु प्रदूषण बढऩे के कारण बिमारियों के घातक रूप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के संबंध मे व्यापक स्तर पर जनजागरूकता का प्रयास जारी है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा दीपावली के अवसर पर शहर में परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन का कार्य किया जा रहा है, जिसे पूर्ण करने के उपरांत मण्डल मुख्यालय के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली को प्रेषित की जाएगी।